



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

राजस्थान, जयपुर



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का उद्देश्य	1
3	संरचना	1-2
4	बजट प्रावधान एवं व्यय	2
5	कार्य प्रणाली	2-3
6	कार्मिकों का चयन	4
7	मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना	4-5
8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान	5
9	पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण	5-7
10	चालू वित्तीय वर्ष(01.04.2019 से 31.12.2019) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण	8
11	आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल	8-12
12	सार संक्षेप	12
13	प्रशासनिक संरचना (सारणी-1)	13
14	पदों की स्थिति दिनांक 31.12.2019 तक (सारणी-2)	14
15	निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नंबर (सारणी-3)	15

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

1. प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के बजट भाषण में भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर, उसे रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (State Directorate of Revenue Intelligence) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। निदेशालय का गठन राजस्व के समस्त स्रोतों (Sources) पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना (Tax Evasion) को रोकने हेतु किया गया है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विधायी शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं।

2. उद्देश्य

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। निदेशालय का गठन मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अन्तर्राज्यीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना है, वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

3. संरचना

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय है जो वर्तमान में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में निदेशालय में 2 पद अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों के हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय में क्रमशः दो-दो पद वाणिज्यिक कर अधिकारी, खनि अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार, मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर

वाहन उपनिरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, निजी सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर के हैं तथा तीन-तीन पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कनि. वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक सहकारिता एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा) के हैं। एक-एक पद वित्तीय सलाहकार, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उपविधि परामर्शी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रोग्रामर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, निजी सचिव, सहायक खनि अभियन्ता, फोरमेन, खनिज सर्वेयर, खनिज रक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक भू-अभिलेख, वरि. सहायक एवं पटवारी का है। कर सहायक के 5, कनि. सहायक के 2, वाहन चालक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद भी सृजित हैं।

निदेशालय में पदस्थापित वाणिज्यिक/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, खनिज अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी एवं तहसीलदार का पदनाम राजस्व आसूचना अधिकारी है। निदेशालय का संगठन चार्ट एवं निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण क्रमशः सारणी-1 एवं 2 में दर्शाया गया है।

4. बजट प्रावधान एवं व्यय

विभाग में केन्द्र प्रवर्तित मद में कोई बजट प्रावधान नहीं है। विभाग में मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय किया जाता है। गैर आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रु. 403.82 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2019 तक राशि रु. 310.16 लाख का व्यय किया गया। आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रु. 6.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2019 तक राशि रु. 2.02 लाख का व्यय किया गया।

5. कार्य प्रणाली

निदेशालय को प्रभावी बनाने एवं प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निस्तारण कर निदेशालय की आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से निदेशालय में प्राप्त सभी सूचनाओं/शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास किया गया है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाएं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित हैं, अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस (PIR) का नाम दिया गया है।

निदेशालय को कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर ऑन-लाईन, निदेशालय की ई-मेल आई. डी sdri@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निदेशालय द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय हिन्दी दैनिक अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है, तथा इससे निदेशालय को आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएँ निरन्तर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय को प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों को सर्वप्रथम पी.आई.आर.के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दर्ज पी.आई.आर. को एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक आवंटित किया जाता है। सामान्यतः पी.आई.आर. प्राप्ति तिथि को ही निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर अपडेट कर दी जाती है। प्रत्येक पी.आई.आर. का पृथक विशिष्ट आई.डी क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पी.आई.आर. के आई.डी क्रमांक की जानकारी सूचनादाता को भी दी जाती है। दर्ज की गई पी.आई.आर. का वर्गीकरण सामान्य अथवा महत्वपूर्ण श्रेणी में निदेशालय के स्तर पर किया जाता है। कुछ पी.आई.आर. जो अति विशिष्ट प्रकृति की होती हैं, उनमें निदेशालय अपने स्तर पर विस्तृत जाँच की कार्यवाही करता है। शेष पी.आई.आर. संबंधित विभागों में इस कार्य हेतु अधिकृत किये गये विभागीय नोडल अधिकारी को ऑनलाईन भिजवा दी जाती है। तत्पश्चात् विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई कार्यवाही की सूचना कम्प्यूटर पर ऑनलाईन ही निदेशालय को भिजवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर, परिवहन, खनन, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इन विभागों द्वारा अधिकृत विभागीय नोडल अधिकारियों को निदेशालय की वेब साईट प्रयोग हेतु पृथक-पृथक यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, ताकि वे उन्हें प्रेषित की गई पी.आई.आर. पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें, तथा की गई विभागीय कार्यवाही से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की वेब साईट को नियमित रूप से अपडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लम्बित पी.आई.आर. का पर्यवेक्षण एवं इसके निस्तारण पर भी चर्चा की जाती है। सूचनादाता भी उसे आवंटित पी.आई.आर. आई. डी क्रमांक के आधार पर उसके द्वारा दी गई सूचना पर हुई कार्रवाई में स्टेटस की जानकारी निदेशालय की वेब साईट को लॉगईन करके देख सकता है।

निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सूचनाओं को दर्ज करने व निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। संबंधित राजस्व विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त राजस्व का इन्द्राज पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

6. कार्मिकों का चयन

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय राजस्व विभागों में हो रही कर अपवंचना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है, इसलिए निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्यराजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये हैं।

निदेशालय में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, विधि सेवा के अधिकारी एवं इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, प्रोग्रामर, सूचना सहायक, निजी सचिव एवं निजी सहायक के पदों पर इन नियमों के तहत विशेष चयन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चयनित व्यक्तियों को निदेशालय में कार्यरत अवधि में उनके मूल वेतन के 15% की राशि का विशेष भत्ता भी देय है। निदेशालय में गठित पदों पर अधिकारियों का चयन इन नियमों के तहत किया गया है।

7. मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कर अपवंचना की सूचनाएं प्राप्त करने के लिये, आमजन को कर अपवंचना की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये एक स्कीम "Grant of Reward to Informer and Government Servants Scheme, 2017" बनाई गई है। इस योजना के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करवाई गई सूचना के महत्व के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि सूचनादाता की सूचना के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व राशि का अधिकतम 12 प्रतिशत तक अथवा प्रति प्रकरण अधिकतम 25.00 लाख रु. तक जो भी कम है निर्धारित की गई है। यह राशि उन प्रकरणों में ही देय है जहाँ राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व की राशि रु. 2.00 लाख या इससे अधिक होगी। स्कीम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

इस स्कीम के तहत राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि उन

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगी, जिनका राजस्व वंचना के प्रकरणों को उजागर करने में विशिष्ट योगदान होगा एवं इस तरह के प्रकरणों में अविवादास्पद राजस्व प्राप्ति एक करोड़ रु. या अधिक होगी। व्यक्तिशः यह राशि एक प्रकरण में अधिकतम रु. 50,000/- एवं टीम के रूप में कार्य करने पर टीम को अधिकतम प्रति प्रकरण रु. 2.00 लाख तक होगी। इस प्रकार से दी गई राशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम रु.10.00 लाख तक सीमित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निदेशालय द्वारा दिसम्बर, 2019 तक सूचनादाताओं को राशि रु. 6.43 लाख की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा करापवंचना के संबंध में स्वप्रेरणा से अथवा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर जाँचका कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं का संप्रेषण आमजन के माध्यम से भी होता है। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (4) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के प्रावधानों में वर्णित सूचनाओं के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं से मुक्त किया गया है। निदेशालय द्वारा की गई जाँच को एवं सूचनादाताओं की पहचान को गोपनीय रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण

पूर्व तीन वित्तीय वर्षों 2016-2019 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2019) में 397 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 88 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रु. 2052.68 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रु. 132.44 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 1.04.2019 से 31.12.2019) में 59 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 83 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रु. 108.45 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रु. 7.17 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2016-2019 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2019) में 563 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 399 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रु. 229.56 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रु. 48.38 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 1.04.2019 से 31.12.2019) में 110 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 115 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रु. 98.05 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रु. 10.03 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

निदेशालय में पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2016-2019 (दिनांक 1.04.2016 से 31.03.2019) एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 1.04.2019 से 31.12.2019 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई.आर. स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण आगे तालिका में दर्शित किया गया है—

(राशि रू. लाख में)

क. सं.	विभाग का नाम	1.04.2016 से 31.03.2019 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण						1.04.2019 से 31.12.2019 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण					
		1.04.2016 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर की संख्या	शेष पी. आई.आर की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)	1.04.2019 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर की संख्या	शेष पी. आई.आर की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	197	223	224	196	12741.75	4021.79	196	41	25	212	797.44	608.54
2	परिवहन विभाग	26	32	16	42	288.99	288.99	42	12	17	37	41.83	54.27
3	आबकारी विभाग	9	23	23	9	30.22	30.22	9	4	4	9	81.58	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	105	218	91	232	5472.86	220.90	232	30	61	200	8790.03	336.62
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	74	63	37	100	4423.09	276.38	100	14	1	113	94.51	4.11
6	अन्य	5	4	8	1	0.00	0.00	1	9	7	3	0.00	0.00
	कुल	416	563	399	580	22956.91	4838.28	580	110	115	574	9805.39	1003.54
1.04.2016 से 31.03.2019 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण													
1	वाणिज्यिक कर विभाग	69	159	16	212	202375.33	11622.75	212	9	21	200	1805.58	15.47
2	परिवहन विभाग	6	34	6	34	165.37	186.92	34	11	4	41	42.52	517.48
3	आबकारी विभाग	1	3	2	2	0.25	295.96	2	1	0	3	0.00	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	139	186	63	262	2717.70	1129.29	262	37	57	242	5106.47	153.96
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	21	15	1	35	9.46	9.30	35	1	1	35	3891.00	30.00
6	अन्य	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	कुल	236	397	88	545	205268.11	13244.22	545	59	83	521	10845.57	716.91
समस्त विभाग (पी.आई.आर. + स्वप्रेरित)		652	960	487	1125	228225.02	18082.50	1125	169	198	1095	20650.96	1720.45

10. चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2019 से 31.12.2019) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण

निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2019 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 1.04.2019 से 31.12.2019 तक) क्रमशः 125 एवं 59 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रु. 22.23 करोड़ तथा रु. 108.45 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रु. 4.25 करोड़ तथा रु. 7.17 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2019 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 1.04.2019 से 31.12.2019 तक) क्रमशः 148 एवं 110 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रु. 50.68 करोड़ तथा रु. 98.05 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रु. 3.59 करोड़ तथा रु. 10.03 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

समग्र रूप में निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) कुल 273 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रु. 72.91 करोड़ की मांग कायम की जाकर रु. 7.84 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में (01.04.2019 से 31.12.2019 तक) कुल 169 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रु. 206.50 करोड़ की मांग कायम की जाकर रु. 17.20 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। आलोच्य अवधि में 198 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

11. आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल

वाणिज्यिक कर विभाग

मै. बालकृष्ण इण्डस्ट्रीज लि., अलवर में प्रवेश कर के बिन्दु पर वर्ष 2019-20 रुपये 7.38 करोड़ की मांग राशि कायम हुई जिसमें रुपये 5.96 करोड़ की नगद वसूली की गई।

सर्कुलर ट्रेडिंग से संबंधित एक प्रकरण में भिवाड़ी स्थित मै. स्विस् लाईन इन्टरट्रेड लि. के विरुद्ध वर्ष 2019-20 में रुपये 14.6 करोड़ की मांग राशि कायम हुई है।

मै. रॉयल मल्टीस्पोर्ट्स प्रा. लि., मुम्बई स्थित कम्पनी द्वारा जयपुर में आयोजित आईपीएल मैच के दौरान वितरित किये गये राशि रुपये 12 करोड़ के कॉम्पलीमेन्टरी टिकटों पर जीएसटी नहीं चुकाये जाने संबंधित प्रकरण बनाया गया।

मै. जीनस इन्फ्रा प्रा. लि., सीतापुरा इण्डस्ट्रल एरिया, जयपुर स्थित व्यवहारी कम्पनी द्वारा राशि रुपये 18 करोड़ के बोगस सी-फॉर्म विभाग में प्रस्तुत कर अविधिक रूप से कर में छूट प्राप्त किये जाने संबंधित प्रकरण उजागर किया गया।

राज्य के विभिन्न परिवहन फिटनेस सेन्टरों द्वारा जीएसटी अपवंचना संबंधित कुल 13 प्रकरण निदेशालय की वाणिज्यिक कर शाखा द्वारा परिवहन विभाग से प्राप्त डेटा का अन्तरमिलान किया जाकर लगभग 20 करोड़ की राशि पर जीएसटी अपवंचना उजागर की।

परिवहन विभाग

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 23 पीआईआर दर्ज की गई। जिनमें से 1 कन्टेनर डिपों में संचालित अवैध वाहनों, 9 विभिन्न रोड व अन्य कन्सट्रिक्शन कार्यों में सम्मिलित कम्पनियों में संचालित अवैध वाहनों से, 1 खनिज परिवहन में संचालित ओवरलोड वाहनों से सम्बन्धित, 1 अन्य राज्य में पंजीकृत बिना कर चुकाये संचालित कारो से सम्बन्धित, 1 पावर प्लान्ट में बिना कर चुकाए संचालित वाहनों से सम्बन्धित, 1 सोलर पावर प्लान्ट के निर्माण कार्य में बिना कर चुकाए संचालित वाहनों से सम्बन्धित, 2 वाणिज्यिक कर विभाग के ई-वे बिलों के आधार पर परमिट शर्तों का उल्लंघन कर संचालित यात्री वाहनों से सम्बन्धित, 7 अन्य विभिन्न कन्सट्रिक्शन कार्यों में बिना कर चुकाये अवैध रूप से संचालित वाहनों से सम्बन्धित है।

ओवरलोड वाहनो के विरुद्ध 1 महत्वपूर्ण प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना के आधार पर खनिज परिवहन में लिप्त ओवरलोड वाहनों की पहचान कर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में 11215 करोड़ रु. राजस्व प्राप्ति की सम्भावना है।

यात्री वाहनों के विरुद्ध 2 महत्वपूर्ण प्रकरण बनाये गये, जिनमें वाणिज्यिक कर विभाग के ई-वे बिलों के आधार पर ऐसे वाहनों की पहचान की गई जो कि यात्री वाहन है तथा व्यावसायिक रूप से माल लाने लेजाने में प्रयुक्त हो रहे है। ऐसे प्राइवेट व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया एवं विस्तृत रिपोर्ट बनाकर परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। प्रकरण में 17.9 करोड़ रु. राजस्व प्राप्ति की सम्भावना है।

अन्य राज्यों में पंजीकृत व राजस्थान राज्य में बिना कर चुकाए संचालित लग्जरी कारों के विरुद्ध 1 प्रकरण दर्ज किया गया, इसमें ओ.एल.एक्स. एवं अन्य ऑनलाईन वेबसाइटों के माध्यमों से आंकड़े एकत्र कर अन्य राज्यों में पंजीकृत राजस्थान राज्य में बिना कर चुकाए संचालित लग्जरी वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

राज्य में 9 विभिन्न कम्पनियों द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण/अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग लिये जा रहे अपंजीकृत वाहनों/अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के पथकर के दायित्व से सम्बन्धित करापवंचना से सम्बन्धित प्रकरण बनाये गये।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

अनुसूचित बैंको द्वारा राज्य के 11 प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋण के तहत कन्सोर्टियम लोन एग्रीमेन्ट आदि पर लगभग रु. 43.16 करोड़ की राशि के मुद्रांक शुल्क अपवंचना के प्रकरण बनाये गये।

इसी प्रकार पूर्व में बनाये गये एक प्रकरण में अनुसूचित बैंको द्वारा राज्य के प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिये गये ऋण के तहत कन्सोर्टियम लोन एग्रीमेन्ट आदि पर लगभग राशि रु. 44.43 करोड़ की मांग कायम की गई।

कंपनियों के समामेलन एवं अधिग्रहण से संबंधित स्टाम्प शुल्क अपवंचना के दो प्रकरण बनाये गये जिस पर संभावित राजस्व राशि रु. 301.00/- करोड़ निहित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा में विजया बैंक एवं देना बैंक के मर्जर/समामेलन से संबंधित स्टाम्प शुल्क अपवंचना का एक प्रकरण बनाया गया जिस पर अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

पूर्व में बैंको के विलयीकरण से संबंधित प्रकरण बनाये गये जिसमें राशि रु. 74.80 करोड़ की राजस्व मांग कायम की गई।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

झुन्झुनू जिले में मेसेनरी स्टोन के अवैध खनन, सीकर जिले की तहसील नीम का थाना क्षेत्र में अवैध खनन, बीकानेर में ग्रेवल, कंकर एवं मुर्रम का अवैध खनन, जयपुर, पाली, उदयपुर के जयसमन्द, राजसमन्द में फेल्सपार/क्वार्टज़, भरतपुर में अवैध खनन, बाड़मेर में जिप्सम के अवैध खनन से सम्बन्धित 14 पी.आई.आर. दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 12.88 लाख के राजस्व की वसूली की गई।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.12.2019 तक धौलपुर, मकराना, राजसमन्द, पाली, झुन्झुनू, बाड़मेर व बून्दी जिले में अवैध खनन व राजस्व चोरी की कुल 15 पी.आई.आर. दर्ज की गई। राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ की शिकायत के आधार पर राज्य की सीमाओं से बाहर जाने को प्रतिबन्धित खनिज फेल्सपार को अन्य नामों से राज्य के बाहर अवैध रूप से भेजा जा रहा था जिससे सम्बन्धित पी.आई.आर. दर्ज की गई जिसमें लगभग 50 करोड़ के राजस्व वसूली की संभावना है। बीकानेर जिले में जिप्सम के अवैध खनन के सम्बन्ध में एक पी.आई.आर. दर्ज की गई।

इसके अतिरिक्त जिला बून्दी में हिण्डौली में मिन्सिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया। साथ ही संभावित कर अपवंचना की जाँच हेतु जयपुर जिले के कोटपूतली, उदयपुर जिले के सलूमबर व कोटा जिले के रामगंजमण्डी क्षेत्र का दौरा किया गया। विभिन्न प्रकरणों में कुल राशि रु. 34.11 लाख के राजस्व की वसूली की गई।

आबकारी विभाग

वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के आबकारी शुल्क में अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया गया है जो 01 अप्रैल, 2019 से वसूलनीय है साथ ही दिनांक 01 जुलाई, 2019 से बीयर में अतिरिक्त आबकारी शुल्क में पुनः वृद्धि कर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया तथा 06 अगस्त, 2019 को भारत निर्मित विदेशी मदिरा में भी अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि कर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया। उक्त वृद्धि के कारण तत्कालीन तारीखों में रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी के पास उपलब्ध ब्रांडवार स्टॉक पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी के अन्तर राशि देय है। उपरोक्त संबंध में विभागीय डेटा का विश्लेषण कर रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों से वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण निदेशालय स्तर पर जिलें वार किया गया है जो कुल रु. 12.98 करोड़ बनती है। डेटा विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि कुछ रिटेल अनुज्ञाधारियों पर देय राशि प्रथम दृष्टया असंगत प्रतीत होती है। संभवतः यह विसंगति रिटेल ऑन अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विभागीय मॉड्यूल में ऑनलाईन स्टॉक फीडिंग में हुई त्रुटि के कारण तथा समय पर बिक्री डेटा फीड नहीं करने के परिणामस्वरूप देय अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी की राशि बहुत अधिक बन रही है जो इन अनुज्ञाधारियों की कुल वार्षिक टर्नओवर की जांच से भी परिलक्षित होती है। अतः इस विसंगति को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संबंधित अनुज्ञाधारियों के मेन्युअल रिकार्ड से मिलान करने के उपरांत जांच कर वास्तविक अन्तर राशि की गणना के पश्चात देय अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी जो कि रु. 5.50 करोड़ बनती है, की वसूली जिला आबकारी अधिकारी स्तर से की जानी है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आबकारी आयुक्त, उदयपुर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी गयी है।

जिला बांसवाडा में अवस्थित स्टारलाईट ब्रुकैम लि0 (नारंग डिस्टिलरी) का एसडीआरआई की टीम ने परिवाद के आधार पर निरीक्षण करने पर स्पिरिट व ब्लेण्ड के स्टॉक में अन्तर प्राप्त होने पर मौके की कार्यवाही कर मूल निरीक्षण फर्द जिला आबकारी, बांसवाडा को डीएनओ, आबकारी के माध्यम से राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाकर मौके पर मिली एलपीएल के अन्तर की ड्यूटी की फलावट कर वसूली हेतु पत्र लिखा। इस प्रकरण में इकाई से रु. 3.00 लाख से रु. 4.00 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

उल्लेखनीय कार्य

निदेशालय की परिवहन शाखा द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण प्रकरण दर्ज किये गये। स्वप्रेरित प्रकरण में खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर खनिज परिवहन में लिफ्ट ओवरलोड वाहनों की पहचान कर प्रकरण दर्ज किया गया।

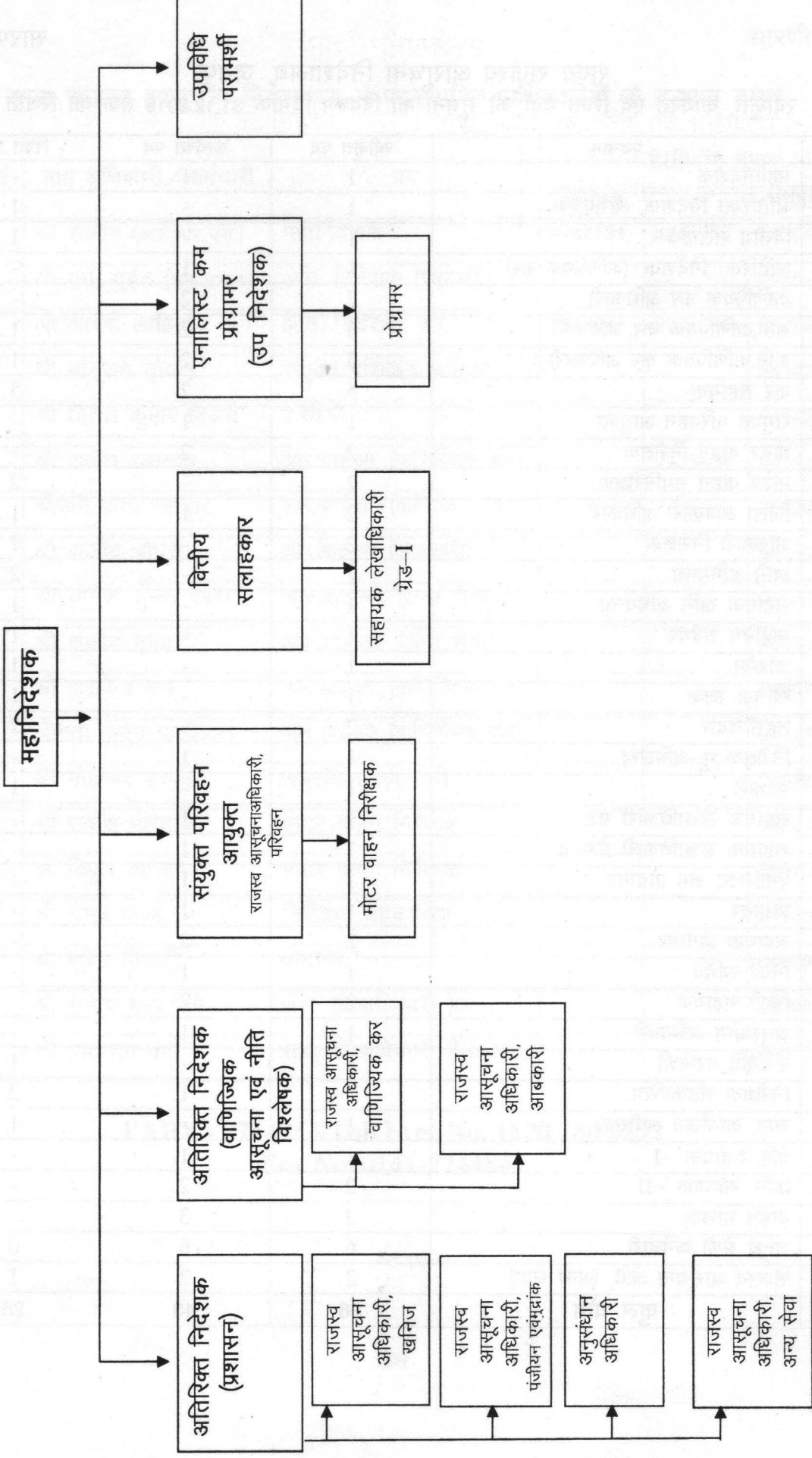
स्वप्रेरित प्रकरण में वाणिज्यिक कर विभाग के ई-वे बिलों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ऐसे वाहनों की पहचान की गई जो कि यात्री वाहन है तथा व्यावसायिक रूप से माल लाने लेजाने में प्रयुक्त हो रहे है। ऐसे प्राइवेट व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया एवं विस्तृत रिपोर्ट बनाकर परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

12. सार संक्षेप

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर उसे रोकने तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु महती भूमिका सम्पादित कर रहा है एवं इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय प्रशासनिक संरचना

सारणी-1



राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर
स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 31.12.2019 तक की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	महानिदेशक	1	1	-
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	-	1
3.	वित्तीय सलाहकार	1	-	1
4.	अतिरिक्त निदेशक, (वाणिज्यिक कर)	1	1	-
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2	2	-
6.	सहा.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	2	1
7.	कनि.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	2	1
8.	कर सहायक	5	2	3
9.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	1	1	-
10.	मोटर वाहन निरीक्षक	2	2	-
11.	मोटर वाहन उपनिरीक्षक	2	-	2
12.	जिला आबकारी अधिकारी	2	1	1
13.	आबकारी निरीक्षक	2	-	2
14.	खनि अभियन्ता	2	-	2
15.	सहायक खनि अभियन्ता	1	-	1
16.	माइनिंग सर्वेयर	1	-	1
17.	फोरमेन	1	-	1
18.	खनिज रक्षक	1	-	1
19.	तहसीलदार	2	-	2
20.	निरीक्षक भू-अभिलेख	1	1	-
21.	पटवारी	1	-	1
22.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	1	1	-
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	1	1	-
24.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	-
25.	प्रोग्रामर	1	1	-
26.	सहायक प्रोग्रामर	2	2	-
27.	निजी सचिव	1	1	-
28.	निजी सहायक	2	2	-
29.	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-
30.	उपविधि परामर्शी	1	-	1
31.	निरीक्षक सहकारिता	3	1	2
32.	सहा. कार्यालय अधीक्षक	1	-	1
33.	वरि. सहायक -I	1	1	-
34.	कनि. सहायक -II	2	2	-
35.	वाहन चालक	3	3	-
36.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	6	0
37.	राजस्व आसूचना अधि. (अन्य सेवा)	3	2	1
	कुल योग	66	40	26

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर		
			ऑफिस	घर	मोबाईल नं.
1.	श्री संजीव (आई.आर.एस.)	महानिदेशक	2744781	2744755	9530401000
2.	श्री एच. गुईटे (आई.ए.एस.)	अति. निदेशक (प्रशासन)			9649134668
3.	श्री आदर्श लोहिया	अति. निदेशक, कर	2744841	2357104	9929310018
4.	श्री नानूराम चोयल	संयुक्त परिवहन आयुक्त			9414019355
5.	श्री दिनेश कुमार विजय	ए.सी.पी.			9414255201
6.	श्री राजेश असवाल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)		2235404	9414349414
7.	श्रीमती जया तलदार	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			8562054691
8.	श्री संजीव चौधरी	आर.आई.ओ. (आबकारी)			9414048835
9.	श्री योगेश कुमार बैरवा	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			9413002879
10.	श्री संजीव गुप्ता	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			8003099901
11.	श्री अरविन्द राव	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9460764828
12.	श्रीमती कुमुद पालीवाल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9414454510
13.	श्री मोहम्मद इरफान	अनुसंधान अधिकारी			9784806532
14.	श्री राकेश भारद्वाज	मोटर वाहन निरीक्षक			9782363860
15.	श्री विपुल व्यास	मोटर वाहन निरीक्षक			9667037101
16.	श्री गगन पाण्डे	निरीक्षक सहकारिता			9413842693
17.	श्री सुरेश तिवाड़ी	प्रोग्रामर			9462064965
18.	श्री सुभाष चन्द जैन	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड-I			9828470939
19.	श्री दाताराम वर्मा	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड-II			9461047397

PABX - 2744963/Toll Free No. 1800 180 6292

Fax No. 0141-2744841

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

डी-ब्लॉक, भूतल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर